न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/43/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/60
प्रवेश तिथि 07.06.2021

अपीलार्थी
श्री हितेश कुमार वशिष्ठ,
नि0 गोविन्ददेवजी मन्दिर के पास, राजगढ (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा, अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17.06.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0पत्र दिनांकः 01.04.2021 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर उनके द्वारा सन् 2020–21 में जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट सूची का अवलोकन/निरीक्षण एवं निरीक्षणोपरांत चिन्हित प्रविष्टि के दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की वांछा की गई।
4. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने/प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का पत्र–व्यवहार अपीलार्थी से नही करने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 01.06.2021 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 17.06.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. राजस्व/2021/1517 दिनांकः 16.06.2021 के माध्यम से जरिये ई–मेल बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपील के अनुक्रम में प्रस्तुत जवाब का विधिवत् परीक्षण किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 01.04.2021 जो कि उनके कार्यालय को दिनांकः 08.04.2021 को प्राप्त हुआ, के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. आर.टी.आई./राजस्व/2021/893 दिनांकः 26.04.2021 एवं पत्र सं0 आर.टी.आई./राजस्व/2021/1479 दिनांकः 10.06.2021 के माध्यम से प्रश्नगत सूचना संबंधी रिकॉर्ड का किसी भी कार्यालय दिवस में अवलोकन/निरीक्षण करने बाबत सूचित किया गया है किन्तु अपीलार्थी, प्रत्यर्थी कार्यालय में अवलोकन/निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए जिससे सूचना आवेदन का विधिवत् निस्तारण नहीं हो पाया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

(2)

7. अतः उक्त अपील का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि यदि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में प्रश्नगत रिकॉर्ड/अभिलेख का निरीक्षण कर सूचना चिन्हित कर देता है तो उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत अधिकतम 50 पृष्ठों हेतु नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा राजकोष कराया जाकर उसी दिन पूर्णतः अधिप्रमाणित सूचना उपलब्ध करा दी जावे। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
8. अपीलार्थी से भी अपेक्षा की जाती है कि वो वांछित सूचना के संबंध में अविलम्ब प्रत्यर्थी कार्यालय में प्रश्नगत अभिलेख का निरीक्षण कर सूचना चिन्हित कर नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराकर प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)